

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 83 ]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 मार्च 2003—चैत्र 10, शक 1925

वित्त तथा योजना विभाग  
[ वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ]  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10/22/2003/वाकर (आब)/पांच (17).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज) तथा उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 में और संशोधन करता है, यथा :

संशोधन

उक्त नियमों में—

1. नियम 2 के उप नियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाय, अर्थात् :—



✓ (7) "प्रतिभूति धनराशि" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार के पत्रादेशों में आबकारी आयुक्त द्वारा, समय-समय पर, आबकारी वर्ष या इसके भाग के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति दिए जाने हेतु मूल्य के अनुपात में निश्चित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की राशि के 1/12वें भाग के समतुल्य राशि से है, जिसे शासकीय कोषालय/उप-कोषालय में ब्याज रहित प्रतिभूति के रूप में नगद रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक अथवा बैंक के कैश आर्डर के रूप में जमा करना होगा, जो राज्य सरकार के समस्त दावों एवं देयों के अंतिम निस्तारण के पश्चात् वापस किए जाने योग्य है।

2. नियम 3 में खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाय, अर्थात् -

(क-1) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अन्तर्गत निर्मित सामान्य लायसेंस शर्त 2 (1) के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह की दुकानों की मासिक अनुज्ञप्ति फीस प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस को या उसके पूर्व संबंधित जिले के कोषालय/उप कोषालय में जमा करेगा, तथापि उसे मासिक किश्त उस माह के सातवें कार्य दिवस तक जमा करने की सुविधा रहेगी।

3. नियम 3 के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाय, अर्थात् -

✓ (ख) देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति, इन सशोधित नियमों के संलग्न प्रपत्र उपाबन्ध 1 व 2 पर क्रमशः सी.एस.2-घ व एफ.एल.1-घ में मंजूर किये जावेंगे।

4. नियम 4 के उप नियम (1) एवं (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाय, अर्थात्-

✓ 4 (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से नजदीक स्थित तीन-तीन देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के समूह बनाये जाकर, समूह का आवंटन किया जावेगा, जिसमें एक ही स्थान की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान एक ही समूह में रखी जावेगी। देशी/विदेशी मदिरा के समूह के आवंटन उपरान्त एवं निर्धारित अग्रिम धनराशियां आदि की पूर्ति कर दिये जाने उपरान्त अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समूह की दुकानों के लिए दुकानवार लायसेंस जारी किये जायेंगे।

✓ 4 (2) अनुज्ञापन प्राधिकारी को यह स्वतंत्रता होगी कि, वे शासकीय राजस्व की दृष्टि से उप नियम (1) के तहत बनाये गये समूहों में से किसी समूह में से किसी एक दुकान को कम करना या एक/दो दुकान को जोड़ना आवश्यक है, तो वे ऐसे समूह बनाने के लिए सक्षम होंगे, किन्तु अपरिहार्य कारणों व शासकीय राजस्व हित में पाँच दुकानों से अधिक दुकानों का समूह बनाने की स्थिति निर्मित होती है, तो इसके लिए आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।

5. नियम 4 के उप नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अन्तः स्थापित किया जाय, अर्थात्-

✓ 4 (4) देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के किसी समूह का वार्षिक मूल्य रुपये 8.00 करोड़ से अधिक नहीं होगा, किन्तु यदि रुपये 8.00 करोड़ से अधिक का समूह बनाया जाना शासकीय राजस्व हित में आवश्यक होगा, तो ऐसे समूह बनाने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगी।

6. नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाय, अर्थात्-



6. आवेदन पत्र के साथ शुल्क : किसी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों/ समूहों की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्रणाली में आवंटन करने के लिए इच्छुक आवेदनकर्ताओं के द्वारा किए जाने वाले निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क निम्नलिखित सारणी में दर्शाए अनुसार होगा :

सारणी

देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह की लागत		आवेदन शुल्क
1.	रुपये 5.00 लाख से 1 करोड़ तक लागत वाले मदिरा दुकान/समूहों के लिए	रुपये 500/-
2.	रुपये 1 करोड़ से अधिक एवं 2 करोड़ तक लागत वाले मदिरा दुकान/समूहों के लिए	रुपये 1500/-
3.	रुपये 2 करोड़ से अधिक एवं 8 करोड़ तक लागत वाले मदिरा दुकान/समूहों के लिए	रुपये 2500/-

आवेदन शुल्क की राशि न तो लायसेंस फीस में समायोजन योग्य होगी और न ही यह राशि अनुज्ञप्ति स्वीकृत न होने की स्थिति में वापसी योग्य होगी।

7. नियम 8 के खण्ड (ख), (ग) एवं (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाय, अर्थात्-

(ख) देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/दुकानों के समूह की जिनके लायसेंस की स्वीकृति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित है, की सूची, वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत की मात्रा, वार्षिक ड्यूटी की राशि, वार्षिक लायसेंस फीस की राशि, वार्षिक मूल्य, प्रतिभूति धनराशि एवं एक माह की अग्रिम लायसेंस फीस की राशि व समूह के लिए निर्धारित आवेदन शुल्क की जानकारी सहित कलेक्टर/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी/तहसीलदार/नगर निगम/नगर पालिका आदि के कार्यालयों के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी।

(ग) देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह के लिए अनुज्ञप्ति स्वीकृति के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन पत्र नियम 6 के अन्तर्गत निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ इन नियमों के संलग्न प्रारूप उपाबन्ध 4 में दिये जायेंगे।

(घ) आवेदन प्राप्ति के लिए नियत किया जाने वाला अंतिम दिनांक, राज्य शासन द्वारा नियत करते हुए समाचार पत्रों में विज्ञापन के रूप में प्रकाशित कराया जा सकेगा, जो प्रकाशन के दिनांक से पाँच दिवस से पूर्व न होगा।

8. नियम 9 के खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाय, अर्थात्-

(ग) आबकारी विभाग की बकाया सूची व कालीसूची तथा इन नियमों के नियम 13 के अधीन व्यतीक्रमी सूची में सम्मिलित या अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम के प्रावधानों के अधीन आबकारी लायसेंस धारण करने से वर्जित न किया गया हो।

9. नियम 14 के खण्ड (क) एवं (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाय, अर्थात्-

(क) इन नियमों के अधीन देशी मदिरा का अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा का प्रदाय निर्धारित ड्यूटी चुकाकर संबंधित विनिर्माण के भाण्डागार अथवा भण्डारण के भाण्डागार से तथा विदेशी मदिरा का अनुज्ञप्तिधारक विदेशी मदिरा का प्रदाय निर्धारित ड्यूटी चुकाकर, छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड से विदेशी मदिरा की कीमत का भुगतान कर, अभिप्राप्त करेगा। अनुज्ञप्तिधारी देशी/विदेशी मदिरा प्रदाय हेतु मांगपत्र पर्याप्त समय पूर्व प्रस्तुत करेगा।



(ग) वर्ष 2003-04 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की ड्यूटी दर, नीचे सारणी में दर्शाए अनुसार होगी :

सारणी

क्र.	मदिरा का प्रकार	ड्यूटी दर
(1)	(2)	(3)
1.	देशी मदिरा : मसाला 25.0 यू.पी. प्लेन 50.0 यू.पी. रासी 70.0 यू.पी.	रुपये 48/- प्रति पूफ लीटर
2.	विदेशी मदिरा (स्पिट) :	
	अ.क्र.	एक्स फैक्ट्री प्राईस (प्रति केस अर्थात् 12 बोतल)
	(1)	रुपये 900/- तक
	(2)	रुपये 901/- से अधिक
		ड्यूटी दर
		रु. 70/- प्रति पूफ लीटर
		रु. 100/- प्रति पूफ लीटर
3.	विदेशी मदिरा (माल्ट) :	
	बीयर (माल्ट लिकर)	रु. 10/- प्रति क्वार्ट बोतल

10. नियम 15 के खण्ड (क) एवं (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाय, अर्थात्-

(क) अनुज्ञप्तिधारी, मास के दौरान देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह की दुकानों के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की सम्पूर्ण राशि उस माह की 25 तारीख तक संबंधित जिले के कोषालय/उप-कोषालय में जमा कर चालान की मूल प्रति संबंधित जिले के सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिस पर प्रदाय माहान्त तक किया जा सकेगा। माह के अंतिम कार्य दिवस तक बिना उठायी गयी मदिरा की मात्रा को समपहृत कर लिया जायेगा।

(ख) यदि देशी/विदेशी मदिरा की दुकान/समूह की दुकानों का अनुज्ञप्तिधारी खण्ड (क) के अनुसार मास के दौरान देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह की दुकानों के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की सम्पूर्ण राशि उस माह की 25 तारीख तक शासन कोष में जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी तत्काल मामले की सूचना

अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा, जो नियम 23 के उप नियम (1) के खण्ड (च) के उप खण्ड (एक) के अनुरूप शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही करेंगे। अधिरोपित शास्ति के समतुल्य धनराशि व न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की अवशेष राशि को अनुज्ञप्तिधारी की जमा प्रतिभूति धनराशि से समायोजित करते हुए, अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिभूति धनराशि में आई कमी को एक सप्ताह के भीतर पूर्ति करने तथा कारण बताने का नोटिस जारी करेंगे कि, संबंधित दुकान/समूह की दुकानों की अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियां क्यों न निरस्त कर दी जाएं? यदि अनुज्ञप्तिधारी बताई गई अवधि के भीतर प्रतिभूति धनराशि की पूर्ति करने में असफल रहता है तथा स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उसकी दुकान/समूह की दुकानों की अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियां निरस्तीकरण के दायित्वाधीन होंगी। इसके उपरान्त अनुज्ञापन प्राधिकारी दुकान/दुकानों के समूह की दुकानों के पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यक कार्यवाही करेंगे।



11. नियम 16 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाय, अर्थात्—

16. न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा से अधिक देशी/विदेशी मदिरा का उठान :

अनुज्ञप्तिधारी न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा से अधिक का उठान निर्धारित शुल्क की दर पर ही कर सकता है।

12. नियम 23 के उप नियम (1) के खण्ड (च) (एक) व (दो) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाय, अर्थात्—

(च) (एक) यदि देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह का अनुज्ञप्तिधारी, किसी मास के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की सम्पूर्ण राशि, उस माह की 25 तारीख तक संबंधित जिले के कोषालय/उप कोषालय में जमा कराकर चालान की मूल प्रति संबंधित जिले के जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसके विरुद्ध ऐसी कम पटाई गई राशि की न्यूनतम प्रत्याभूत की मात्रा पर देशी मदिरा के लिए रुपये 48/— प्रति प्रूफ लीटर, विदेशी मदिरा स्प्रिट के लिए रुपये 71.50 प्रति प्रूफ लीटर व माल्ट मदिरा के लिए रुपये 10/— प्रति क्वार्ट बोतल की दर से शास्ति के लिए दायी होगा।

(दो) यदि अनुज्ञप्तिधारी उक्त खण्ड (एक) के अनुसार अधिरोपित शास्ति के पश्चात् भी मासवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की सम्पूर्ण राशि जमा करने में असफल रहता है तथा विहित कालावधि के भीतर प्रतिभूति राशि में आयी कमी को पूरा करने में भी असफल रहता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.



## सी.एस.2घ

## (नियम 3 (ख))

देशी मदिरा दुकान से मुहरबंद बोतलों में देशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए परिसर में उपभोग हेतु अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या..... वर्ष..... स्थान..... जिला.....  
 वार्षिक लायसेंस फीस रुपये (अंकों में) ..... रुपये (अक्षरों में).....  
 वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की राशि रुपये (अंकों में)..... रुपये (अक्षरों में)..... एवं  
 दुकान का कुल मूल्य रुपये (अंकों में) ..... रुपये (अक्षरों में)....., जिसका  
 मासवार विभाजन निम्नानुसार है :

अ. क्र.	मास	मासवार लायसेंस फीस (वार्षिक लायसेंस फीस का)	मासवार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (पू.ली. में)	मास के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की राशि
1.	अप्रैल	1/12वां भाग रुपये.....	वार्षिक मात्रा का 9%	रुपये.....
2.	मई	1/12वां भाग रुपये.....	वार्षिक मात्रा का 10%	रुपये.....
3.	जून	1/12वां भाग रुपये.....	वार्षिक मात्रा का 9%	रुपये.....
4.	जुलाई	1/12वां भाग रुपये.....	वार्षिक मात्रा का 6%	रुपये.....
5.	अगस्त	1/12वां भाग रुपये.....	वार्षिक मात्रा का 6%	रुपये.....
6.	सितम्बर	1/12वां भाग रुपये.....	वार्षिक मात्रा का 6%	रुपये.....
7.	अक्टूबर	1/12वां भाग रुपये.....	वार्षिक मात्रा का 8%	रुपये.....
8.	नवम्बर	1/12वां भाग रुपये.....	वार्षिक मात्रा का 8%	रुपये.....
9.	दिसम्बर	1/12वां भाग रुपये.....	वार्षिक मात्रा का 10%	रुपये.....
10.	जनवरी	1/12वां भाग रुपये.....	वार्षिक मात्रा का 10%	रुपये.....
11.	फरवरी	1/12वां भाग रुपये.....	वार्षिक मात्रा का 10%	रुपये.....
12.	मार्च	1/12वां भाग रुपये.....	वार्षिक मात्रा का 8%	रुपये.....
योग				

देशी मदिरा दुकान की अनुज्ञप्ति फीस, बारह समान माहवारी किश्तों में पटाई जायेगी। अनुज्ञप्ति फीस को 12 से भाग देने पर अविभाज्य राशि प्रथम मासिक किश्त के साथ जमा की जायेगी। इसी प्रकार देशी मदिरा दुकान के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की सम्पूर्ण राशि उक्त विभाजन के अनुसार सम्बन्धित माह की 25 तारीख तक जमा करना अनिवार्य होगा।



परिसर का विवरण (चौहद्दी सहित):

उत्तर.....

दक्षिण.....

पूर्व.....

पश्चिम.....

लायसेंसधारी का नाम, पिता का नाम एवं पूर्ण पता :

1. श्री.....आत्मज.....निवासी.....

2. श्री.....आत्मज.....निवासी.....

विक्रेताओं के नाम, पिता का नाम एवं पूर्ण पता :

1. श्री.....आत्मज.....निवासी.....

2. श्री.....आत्मज.....निवासी.....

3. श्री.....आत्मज.....निवासी.....

4. श्री.....आत्मज.....निवासी.....

देशी मदिरा की मसाला 25.0 यू.पी., सादी 50.0 यू.पी. तथा रासी 70.0 यू.पी. की मानक बोतल (750 मि.ली.), अद्धा (375 मि.ली.) एवं पाव (180 मि.ली.) के फुटकर बिक्री का लायसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लायसेंसधारक/धारकों को जिला..... के अन्तर्गत ..... (स्थान) .....तहसील के लिए दिनांक .....से 31 मार्च 200.... हेतु जिसके लिए नियम-7 के अनुसार लायसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि की अग्रिम राशि जमा कर दी गई है, लायसेंस प्रदान किया जाता है।

यह लायसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर अनुज्ञप्तिधारी सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लायसेंस और प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण किये जाने के लिए दायी होगा :



## सामान्य और विशेष शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी, मास के लिए निर्धारित की गई सम्पूर्ण ड्यूटी की राशि को जमा करने के लिए दायी होगा। निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की राशि से मास के अंतिम कार्य दिवस तक बिना उठायी गयी मदिरा की मात्रा को समपहृत कर लिया जायेगा।
2. देशी मदिरा के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की राशि का भुगतान मास के 25 तारीख तक करना होगा तथा इस जमा राशि के विरुद्ध देशी मदिरा का उठान मास के अंतिम कार्य दिवस तक संबंधित जिले के विनिर्माण के भाण्डागार/भण्डारण के भाण्डागार से किया जा सकेगा।
3. यदि देशी मदिरा की दुकान/समूह की दुकानों का अनुज्ञप्तिधारी मास के दौरान देशी मदिरा दुकान/समूह की दुकानों के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की सम्पूर्ण राशि उस माह की 25 तारीख तक शासन कोष में जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी तत्काल मामले की सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा, जो ऐसी देशी मदिरा दुकान/दुकानों के संबंध में निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की राशि से कम पटाई गई राशि के लिए "छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002" के नियम 23 के उप नियम (1) के खण्ड (च) के उप खण्ड (एक) के अनुरूप शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही करेंगे। अधिरोपित शास्ति के समतुल्य धनराशि व प्रत्याभूत की अवशेष राशि को अनुज्ञप्तिधारी की जमा प्रतिभूति राशि से समायोजित करते हुए, अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिभूति राशि में आई कमी को एक सप्ताह के भीतर पूर्ति करने तथा कारण बताने का नोटिस जारी करेंगे कि, संबंधित दुकान/समूह की दुकानों की अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियां क्यों न निरस्त कर दी जाएं? यदि अनुज्ञप्तिधारी बताई गई अवधि के भीतर प्रतिभूति राशि की पूर्ति करने में असफल रहता है तथा स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उसकी दुकान/समूह की दुकानों की अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियां निरस्तीकरण के दायित्वाधीन होंगी। इसके उपरान्त अनुज्ञापन प्राधिकारी दुकान/दुकानों के समूह की दुकानों के पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
4. अनुज्ञप्तिधारी किसी मास के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की राशि के विरुद्ध उठाई जाने वाली देशी मदिरा की मात्रा से अधिक मात्रा का उठान निर्धारित ड्यूटी की दर पर ही कर सकता है।
5. अनुज्ञप्तिधारी मदिरा की कीमत का, जिसमें समय-समय पर उद्गृहणीय समस्त कर सम्मिलित है, पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् देशी मदिरा जिले के प्रदायकर्ता से देशी मदिरा का प्रदाय अभिप्राप्त कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी जिसे वह देशी मदिरा प्रदाय करना चाहता है, अग्रिम में मांग पत्र देगा। ऐसा प्रदायकर्ता जिसे मांगपत्र दिया गया हो, यथासंभव शीघ्र देशी मदिरा का प्रदाय करने में असफल रहता है, तो अनुज्ञप्तिधारी सम्बद्ध सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी को सूचना देगा, जो ऐसा मांगपत्र प्राप्त होने पर यथासंभव शीघ्र मदिरा को प्रदाय के लिए व्यवस्था करार करेगा।
6. अनुज्ञप्तिधारी नियत न्यूनतम फुटकर मूल्य से कम नहीं लेगा।
7. परिसर पर उपभोग के लिए मुहरबंद बोतलों में देशी मदिरा की बिक्री की अनुमति उसी गद्दी से होगी। परिसर के एक भाग अलग रखा जायेगा, जहां केवल "परिसर में" उपभोग के लिए अनुमति होगी। परिसर में उपभोग के लिए भी खुली हुई मदिरा नहीं परोसी जायेगी।



8. विहित तीव्रता और मात्रा की देशी मदिरा की बिक्री मुहरबंद बोतलों, अर्द्धा, पाँचों में की जायेगी जिन पर आवकारी आयुक्त द्वारा सुरक्षा होलोग्राम, शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में लगे हुए होंगे।
9. अनुज्ञप्तिधारी विहित रजिस्टर में नियमित और सही दैनिक हिसाब रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांगा जाय, लेखा रजिस्टर प्रस्तुत किया जायेगा।
9. क. अनुज्ञप्तिधारी जिस दिन मद्य भण्डागार में देशी मदिरा का प्रदाय अभिप्राप्त करने हेतु जाय उसके पूर्ववर्ती दिन को उसके पास स्टॉक में की समस्त खाली बोतलें प्रदायकर्ता को वापस करेगा।
10. अनुज्ञप्तिधारी को देशी मदिरा की बिक्री को छोड़कर, जिसके लिए कि लायसेंस मंजूर किया गया है, परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
11. अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), होली व मोहरम और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों 10.00 बजे सुबह से 10.30 बजे रात्रि तक खुला रहेगा, अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्वन्धी क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनों में दुकान की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
12. अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा के सम्पूर्ण स्टॉक का भण्डारण केवल लायसेंस परिसर में ही करेगा।
13. अनुज्ञप्तिधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर एक सहज दृश्य साईनबोर्ड लगायेगा, जिस पर अनुज्ञप्तिधारी का नाम "देशी मदिरा का अनुज्ञप्तिधारक फुटकर विक्रेता", दुकान की अवस्थिति, लायसेंस की अवधि तथा लायसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में अंकित की जायेगी।
14. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसर में बैठने की युक्तियुक्त व्यवस्था करेगा, जैसे बेंचों की पर्याप्त संख्या, तख्तों, कुर्सियों तथा टेबिल आदि।
15. अनुज्ञप्तिधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और छुआछूत रोग से ग्रस्त हो या आपाराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो।
16. अनुज्ञप्तिधारी किसी भी व्यक्ति को निर्धारित मात्रा से अधिक देशी मदिरा नहीं बेचेगा।
17. किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रय नहीं की जावेगी, जो 18 वर्ष से कम आयु का हो या पदधारी, जो वर्दी में हो।
18. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों या उनके लेबिलों, सुरक्षा होलोग्राम/चोरी रोधक ढक्कनों या मुहरों से विगाड़ करना, विकृत करना पूर्ण रूप से निषिद्ध है।
19. अनुज्ञप्तिधारी अपने अनुज्ञप्त परिसर में कोई भी रंग, सुगंधि, होलोग्राम, कैप्सूल, मुहर या कोई हानिकर सामग्री नहीं रखेगा।

Deleted  
12-2-2006



20. अनुज्ञापतिधारी या उसके विक्रेता के लिए दुकान की गद्दी पर या उस स्थान से 5 फीट के भीतर जहाँ विक्रय के लिए देशी मदिरा भण्डारित की गई है, पानी का रखना पूर्ण रूप से निषिद्ध है।
21. अनुज्ञापतिधारी परिसर की समुचित देख-रेख और सफाई के लिए, उसमें नालियों आदि का कृमिनाशक पदार्थ से साफ किया जाना सम्मिलित है, उत्तरदायी होगा।
22. परिसर के भीतर प्रयोग किए गए सभी कुल्हड़, पत्तलों आदि को कूड़े के लिए विशेषतः निर्मित खाली या इ प्रयोजनार्थ रखे गये ढक्कनदार कूड़ेदानों में तत्काल हटा दिया जायेगा, जिसे कि विक्रय हेतु विक्रय घण्टों के दौरान कम से कम दो बार साफ किया जायेगा।
23. अनुज्ञापतिधारी/विक्रेता और उसके परिवार के द्वारा उसपरिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा।
24. अनुज्ञापतिधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या फुसलाना पूर्ण रूप से निषिद्ध है, द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी पूर्ण रूप से निषिद्ध है।
25. अनुज्ञापतिधारी अनुज्ञापन की समाप्ति पर अतिशेष स्टॉक के निपटारे के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अधीन निर्मित सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 25 के अन्तर्गत निपटारा किया जायेगा।
26. अनुज्ञापतिधारी, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाये गये नियम (सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 2क एवं 2ख को छोड़कर) और अनुज्ञापति जारी होने के पश्चात् अनुज्ञापति की शर्तों एवं निर्बन्धनों तथा राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/कलेक्टर/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा सूचित किन्हीं विशेष शर्तों/आदेशों/निर्देशों से आवद्ध कर होगा।

तारीख

जिला

अनुज्ञापन प्राधिकारी



## उपाबन्ध-2

### एफ.एल.1घ (नियम 3 (ख))

### विदेशी मदिरा दुकान से मुहरबंद बोतलों में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री हेतु अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या.....वर्ष.....स्थान.....जिला.....

वार्षिक लायसेंस फीस रुपये (अंकों में) .....रुपये (अक्षरों में).....

वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की राशि रुपये (अंकों में).....रुपये (अक्षरों में).....एवं

दुकान का कुल मूल्य रुपये (अंकों में) .....रुपये (अक्षरों में).....

जिसका मासवार विभाजन निम्नानुसार है :

अ. क्र.	मास	मासवार लायसेंस फीस (वार्षिक लायसेंस फीस का)		मासवार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा				मास के लिए निध न्यूनतम प्रत्याभूत की राशि	
				स्प्रिट (पू.ली. में)		माल्ट (ब.ली. में)		स्प्रिट	म
1.	अप्रैल	1/12वां भाग	रुपये.....	वार्षिक मात्रा का 9%		वार्षिक मात्रा का 15%		रुपये.....	रुपये.....
2.	मई	1/12वां भाग	रुपये.....	वार्षिक मात्रा का 10%		वार्षिक मात्रा का 15%		रुपये.....	रुपये.....
3.	जून	1/12वां भाग	रुपये.....	वार्षिक मात्रा का 9%		वार्षिक मात्रा का 13%		रुपये.....	रुपये.....
4.	जुलाई	1/12वां भाग	रुपये.....	वार्षिक मात्रा का 6%		वार्षिक मात्रा का 6%		रुपये.....	रुपये.....
5.	अगस्त	1/12वां भाग	रुपये.....	वार्षिक मात्रा का 6%		वार्षिक मात्रा का 6%		रुपये.....	रुपये.....
6.	सितम्बर	1/12वां भाग	रुपये.....	वार्षिक मात्रा का 6%		वार्षिक मात्रा का 6%		रुपये.....	रुपये.....
7.	अक्टूबर	1/12वां भाग	रुपये.....	वार्षिक मात्रा का 8%		वार्षिक मात्रा का 6%		रुपये.....	रुपये.....
8.	नवम्बर	1/12वां भाग	रुपये.....	वार्षिक मात्रा का 8%		वार्षिक मात्रा का 5%		रुपये.....	रुपये.....
9.	दिसम्बर	1/12वां भाग	रुपये.....	वार्षिक मात्रा का 10%		वार्षिक मात्रा का 5%		रुपये.....	रुपये.....
10.	जनवरी	1/12वां भाग	रुपये.....	वार्षिक मात्रा का 10%		वार्षिक मात्रा का 5%		रुपये.....	रुपये.....
11.	फरवरी	1/12वां भाग	रुपये.....	वार्षिक मात्रा का 10%		वार्षिक मात्रा का 8%		रुपये.....	रुपये.....
12.	मार्च	1/12वां भाग	रुपये.....	वार्षिक मात्रा का 8%		वार्षिक मात्रा का 10%		रुपये.....	रुपये.....
योग									

विदेशी मदिरा दुकान की अनुज्ञप्ति फीस, बारह समान माहवारी किश्तों में पटाई जायेगी।

अनुज्ञप्ति फीस को 12 से भाग देने पर अविभाज्य राशि प्रथम मासिक किश्त के साथ जमा की जायेगी।

इसी प्रकार विदेशी मदिरा दुकान के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की सम्पूर्ण राशि उक्त विभाजन

में अन्तर्गत सम्बन्धित माह की 25 तारीख तक जमा करना अनिवार्य होगा।



परिसर का विवरण (चौहद्दी सहित):

उत्तर.....

दक्षिण.....

पूर्व .....

पश्चिम.....

लायसेंसधारी का नाम, पिता का नाम एवं पूर्ण पता :

1. श्री.....आत्मज.....निवासी.....
2. श्री.....आत्मज.....निवासी.....

विक्रेताओं के नाम, पिता का नाम एवं पूर्ण पता :

1. श्री.....आत्मज.....निवासी.....
2. श्री.....आत्मज.....निवासी.....
3. श्री.....आत्मज.....निवासी.....
4. श्री.....आत्मज.....निवासी.....

परिसर के बाहर उपयोग के लिए मानक बोतल (750 मि.ली.), अर्द्धा (375 मि.ली.) एवं पाव (180 मि.ली.) की फुटकर बिक्री का लायसेंस एतद्वारा उपर्युक्त लायसेंसधारक/धारकों को जिला.....के अन्तर्गत .....(स्थान) .....तहसील के लिए दिनांक.....से 31 मार्च 200... हेतु, जिसके लिए नियम-7 के अनुसार लायसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि की अग्रिम राशि जमा कर दी गई है, लायसेंस प्रदान किया जाता है।

यह लायसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने पर या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 और स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर अनुज्ञप्तिधारी सुसंगत विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त



## सामान्य और विशेष शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से समस्त करों, शुल्क, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए, मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात् प्राप्त कर सकेगा।
2. अनुज्ञप्तिधारी शासन द्वारा नियम, 17 के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य नहीं लेगा।
3. अनुज्ञप्त परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिए की जायेगी, कोई भी मदिरा परिसर पर उपभोग नहीं की जायेगी।
4. किसी भी व्यक्ति को 180मि.ली. की एक मानक पौवा बोतल से कम मात्रा की बिक्री नहीं की जायेगी। 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई बिक्री नहीं की जायेगी।
5. विहित तीव्रता और मात्रा की विदेशी मदिरा की मुहरबंद बोतलों अर्थात् बोतल, अट्टा, पाव में बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान प्रमाण के रूप में सुरक्षा होलोग्राम लगे हुए होंगे।
6. अनुज्ञप्तिधारी विहित रजिस्टर में नियमित और सही दैनिक हिसाब रखेगा और जब कभी सन्निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांगा जाय, लेखा रजिस्टर प्रस्तुत किया जायेगा।
7. अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा के सम्पूर्ण स्टॉक का भण्डारण केवल अनुज्ञप्त परिसर में ही करेगा
8. (क) अनुज्ञप्तिधारी, मास के लिए निर्धारित की गई सम्पूर्ण न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की राशि जमा करने के लिए दायी होगा। निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की राशि से मास के अंतिम कार्य दिवस तक बिना उठायी गयी मदिरा की मात्रा को समपहत कर लिया जायेगा। अनुज्ञप्तिधारी निर्धारित न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा का उठान इस तरह विनियोजित करेगा कि, भुगतान की गई ड्यूटी की राशि निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की मासिक राशि से कम न हो, परन्तु यह कि यदि विदेशी मदिरा स्पिरिट/माल्ट के उठान के फलस्वरूप किसी मास के लिए भुगतान की गई ड्यूटी की राशि निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा हेतु निर्धारित राशि के समतुल्य है, परन्तु उठाई गई न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा कम है, तो इस तरह की स्थिति में यह माना जायेगा कि, उस मास के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा उठा ली गई है।

(ख) विदेशी मदिरा के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की राशि का भुगतान मास के 25 तारीख तक करना होगा तथा इस जमा राशि के विरुद्ध विदेशी मदिरा स्पिरिट एवं माल्ट का उठान मास के अंतिम कार्य दिवस तक छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से किया सकेगा।

(ग) यदि विदेशी मदिरा की दुकान/समूह की दुकानों का अनुज्ञप्तिधारी मास के दौरान विदेशी मदिरा दुकान/समूह की दुकानों के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की सम्पूर्ण राशि उस माह की 25 तारीख तक शासन कोष में जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी तत्काल मामले की सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा, जो ऐसी विदेशी मदिरा दुकान/दुकानों के संबंध में निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की राशि से कम पटाई गई राशि के लिए "छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002" के नियम 23 के उप नियम (1) के खण्ड (च) के उप खण्ड (एक) के अनुरूप शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही करेंगे। अधिरोपित शास्ति के समतुल्य धनराशि व न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की अवशेष राशि को अनुज्ञप्तिधारी की जमा प्रतिभूति राशि से समायोजित करते हुए, अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिभूति राशि में आई कमी को एक सप्ताह के भीतर पूर्ति करने तथा कारण बताने का नोटिस जारी करेंगे कि, संबंधित दुकान/समूह की दुकानों की अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियां क्यों न निरस्त कर दी जाएं? यदि अनुज्ञप्तिधारी बताई गई अवधि के भीतर प्रतिभूति राशि की पूर्ति करने में असफल रहता है तथा स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उसकी दुकान/समूह की दुकानों की अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियां निरस्तीकरण के दायित्वाधीन होंगी। इसके उपरान्त अनुज्ञापन प्राधिकारी दुकान/दुकानों के समूह की दुकानों के पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यक कार्यवाही करेंगे।



9. अनुज्ञप्तिधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर एक सहज दृश्य साईनबोर्ड लगायेगा, जिस पर अनुज्ञप्तिधारी का नाम "विदेशी मदिरा का अनुज्ञप्तिधारक फुटकर विक्रेता" दुकान की अवस्थिति, लायसेंस की अवधि तथा लायसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनाएं भी मोटे अक्षरों में अंकित की जायेगी।
10. अनुज्ञप्तिधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और छुआछूत रोग से ग्रस्त हो या आपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो।
11. अनुज्ञप्तिधारी किसी भी व्यक्ति को निर्धारित मात्रा से अधिक विदेशी मदिरा नहीं बेचेगा।
12. किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रय नहीं की जावेगी, जो 18 वर्ष से कम आयु का हो या पदधारी, जो वर्दी में हो।
13. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों या उनके लेबिलों, सुरक्षा होलोग्राम/चोरी रोधक ढक्कनों या मुहरों से बिगाड़ करना, विकृत करना पूर्ण रूप से निषिद्ध है।
14. अनुज्ञप्तिधारी अपने अनुज्ञप्त परिसर में कोई भी रंग, सुगंधि, होलोग्राम, कैप्सूल, मुहर या कोई हानिकर सामग्री नहीं रखेगा।
15. अनुज्ञप्तिधारी/विक्रेता और उसके परिवार के द्वारा उसपरिसर, जिसमें दुकान स्थित है, का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा।
16. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए खरीददारों को प्रलोभन देना या फुसलाना पूर्ण रूप से निषिद्ध है, द्यूत या नृत्य कार्यक्रम कराना भी पूर्ण रूप से निषिद्ध हैं।
17. अनुज्ञप्त परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), होली व मोहर्रम और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा बंद करने के लिए अधिसूचित किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिए सभी दिनों 10.00 बजे सुबह से 10.30 बजे रात्रि तक खुला रहेगा, अनुज्ञापन प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया कलापों आदि के कारण से भी दुकान बंद करने के आदेश दे सकता है। उक्त तारीखों/दिनों में दुकान की बंदी के लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
18. विदेशी मदिरा को छोड़कर जिसके लिए की लायसेंस दिया गया है, अनुज्ञप्तिधारी को लायसेंस परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
19. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापन की समाप्ति पर अतिशेष स्टॉक के निपटारे के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, जिसे छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अधीन निर्मित सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 25 के अन्तर्गत निपटारा किया जायेगा।
20. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए एफ.एल. 2, एफ.एल. 3, एफ.एल. 4, एफ.एल. 4क अथवा एफ.एल. 5 अनुज्ञप्तिधारी को भी विदेशी मदिरा विक्रय करेगा।
21. अनुज्ञप्तिधारी, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाये गये नियम (सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक 2क एवं 2ख को छोड़कर) और अनुज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं निर्बन्धनों तथा राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/कलेक्टर/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा सूचित किन्हीं विशेष शर्तों/आदेशों/निर्देशों से आबद्ध कर होगा।



अनुक्रमांक.....

जिले का कोड नम्बर .....

समूह क्रमांक .....

(1) आवेदक का नाम :

(2) दुकान/समूह का नाम :

आवेदन पत्र प्राप्तकर्ता के  
हस्ताक्षरआवेदन पत्र जारी करने वाले  
अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर  
एवं कार्यालय की पदमुद्राआवेदन पत्र

अनुक्रमांक.....

जिला .....

देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह के लिए लायसेंस हेतु आवेदन पत्र

आबकारी वर्ष .....

दुकान/दुकानों के समूह का विवरण

1. जिले का नाम : .....
2. देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह का नाम: .....
3. दुकान/समूह की वार्षिक लायसेंस फीस की राशि : (अंको में) रुपये .....
- (शब्दों में) रुपये .....
4. वार्षिक निर्धारित प्रत्याभूत मात्रा :  
 (अ) देशी मदिरा की मात्रा (प्रूफ लीटर में) : ..... ड्यूटी राशि रुपये .....
- (ब) विदेशी मदिरा (स्पिरिट) की मात्रा (प्रूफ लीटर में) : ..... ड्यूटी राशि रुपये .....
- (स) विदेशी मदिरा (माल्ट) की मात्रा (बल्क लीटर में) : ..... ड्यूटी राशि रुपये .....
5. दुकान/समूह के लिए निर्धारित वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा पर  
 देय ड्यूटी राशि का 1/12वां भाग प्रतिभूति धनराशि : (अंकों में) रुपये .....
- (शब्दों में) रुपये .....
6. आवेदन शुल्क की राशि : (अंकों में) रुपये .....
- (शब्दों में) रुपये .....



आवेदक का विवरण

आवेदक का पासपोर्ट  
साइज का फोटोग्राफ  
जो किसी राजपत्रित  
अधिकारी द्वारा  
सत्यापित हो।

1. आवेदक/आवेदिका का नाम .....
2. पिता/पति का नाम : .....
3. आयु : .....
4. लिंग (पुरुष/महिला) : .....
5. स्थायी पता : .....
- मकान नम्बर .....
- मोहल्ला/ग्राम .....
- थाना .....
- तहसील .....
- जिला .....
- राज्य .....
- दूरभाष नम्बर .....
6. वर्तमान पता : .....
- मकान नम्बर .....
- मोहल्ला/ग्राम .....
- थाना .....
- तहसील .....
- जिला .....
- राज्य .....
- दूरभाष नम्बर .....
7. जमा आवेदन शुल्क का विवरण : .....
- (क) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/बैंक के कैश आर्डर  
का क्रमांक एवं दिनांक अथवा नगद जमा  
करने की दशा में बैंक चालान नम्बर/दिनांक .....
- (ख) बैंक का नाम : .....



उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी में पूर्णतः सत्य/सही है। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाय तो, मेरा/हमारा आवेदन पत्र निरस्त करने योग्य होगा। यदि उपरोक्त विवरण लायसेंस जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो मेरा/हमारा लायसेंस निरस्त करने के दायित्वाधीन होगा और मेरे/हमारे द्वारा जमा की गई लायसेंस फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी राजसात करने योग्य होगी जिसकी मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त मैं/हम इस तथ्य से भिन्न हूँ/हैं, कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध भी है तथा मेरे/हमारे विरुद्ध दण्डनीय अपराध दर्ज किया जा सकता है।

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर  
एवं दिनांक

संलग्न :

1. आवेदन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/बैंक का कौश आर्डर अथवा बैंक के चालान की मूलप्रति।
2. आवेदक का नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र

(आवेदन पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति)

श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पत्नी/पुत्री.

.....निवासी.....

का देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह के लिए आवेदन पत्र, आवेदन शुल्क के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/बैंक का कौश आर्डर अथवा चालान की मूलप्रति के साथ प्राप्त किया, जिसे रजिस्टर के सरल क्रमांक.....पर दर्ज किया गया।

दिनांक :

समय :

सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी  
अथवा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर  
एवं कार्यालय की पदमुद्रा



रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2003

क्रमांक एफ 10/22/2003/वाकर (आब)/पांच (17).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10/22/2003/वाकर (आब)/पांच (17) दिनांक 31-3-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, dated 31st March 2003

**NOTIFICATION**

No. F/10/22/2003 CT (EX)/V/(17)/- In exercise of the powers conferred by clause (d), (e), (f), (g), (h) of sub section (2) and provision of Sub Section 3 of section 62 of Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915), the State Government hereby makes further amendments in the "Chhattisgarh-Excise Settlement of Licenses for retail sale of country/foreign Liquor Rules 2002", namely :-

**AMENDMENTS****In the aforesaid rules -**

1. The following sub-rule be substituted in rule 2 for sub rule 7

(7) "Security Amount" means a sum equal to 1/12th part of the amount of the fixed minimum guaranteed quantity in ratio to the sum fixed in consideration of the grant of License for sale of country/foreign liquor in a retail shop to be issued from time to time by Excise Commissioner in consultation with State Govt. for the whole excise year or part thereof, which is to be deposited in Govt. Treasury/Sub Treasury in cash or bank draft of nationalised banks or banker's cheque or banker's cash order as interest free security refundable after the final settlement of the claims and dues to the state govt.

2. The following clause be inserted after clause (a) in rule 3, as :

(a-1) In accordance to the general license condition 2(1) made under Chhattisgarh Excise Act, 1915 the licensee shall deposit the monthly license fee of country/foreign liquor shop/group of shops on or before the first working day of the month in the treasury/sub-treasury of the concerned district, though he is entitled to deposit the monthly instalment on the seventh working day of that month.



3. The following clause be substituted in rule 3 for clause (b), as:

License shall be granted for retail sale of country and foreign liquor on annexure 1 and 2 with these amended rules in the form CS2D and FL1D respectively.

4. The following sub rule be substituted for sube rule 1 and 2 of rule 4

4(1) The licensing authority shall allot the group after forming groups of each of three-three country/foreign liquor shops geographically neighbouring in which the retail shop of country/foreign liquor shop of the same place shall be kept in one group. After allotting the group of country/foreign liquor and after the advance money has been deposited the licensing author shall issue groupwise licenses.

4(2) The licensing authority shall be authorised to reduce any one shop or to add one/two shops in the group out of the groups formed under sub rule 1 with a view to augment the revenue. He is also authorised to form group of five shops for hike in govt. revenue, which, however, is subject to prior permission of Excise Commissioner.

5. The following sub rule be inserted in rule 4 after sub rule (3)

4(4) The annual value of any group of the retail shops of country and foreign liquor shouldn't exceed Rs. 8.00 crores, but If any such group exceeding 8.00 crore Rs. is form with a view to augment govt. revenue, the licensing authority must seek prior permission from Excise Commissioner.

6. The following rule be substituted for rule 6, as :



6. Application fee with application - The application fee with application for license of groups of liquor shops shall be as shown in the table below :-

S. No.	Reserve price of the group	Prescribed Application Fees
1.	For group of shops of Rs. 5.00 Lakh to Rs. 1.00 crore	Rs. 500/-
2.	For group of shops above Rs. 1.00 crore to Rs. 2.00 crore	Rs. 1500/-
3.	For group of shops above Rs. 2.00 crore to Rs. 8.00 crore	Rs. 2500/-

The amount of application fees will neither be adjustable in license fees nor be refundable in case of not granting the license.

7. The following clauses be substituted in rule 8 for clause (b), (c), (d), as :

(b) A list of retail shop/shops of country/foreign liquor group for which the licensing authority proposes to grant the license shall be exhibited along with the annual fixed minimum guaranteed quantity, annual duty amount, annual licence fees, annual value, security money and a month's advance license fees and the application fees prescribed for the group in the office of Collector/Asstt. Commissioner excise/ District Excise Officer/S.D.M./ Tahsildar/Municipal Corporation/Municipal Council.

(c) Application for grant of license shall be submitted to the licensing authority in the prescribed form as appended to these rules as annexure along with affidavit and prescribed application fees under rule 6.

(d) The last date to be fixed for the receipt of application shall not be earlier than five days with effect from the date of publication of the advertisement in the news paper.

8. The following clause be substituted in rule 9 for clause (c)

(c) Should not be a defaulter/black listed or debarred from holding an excise



license under the provision of rule 13 of these rules or under the provision of any rule made under the Act.

9. The following clause be substituted in rule 14 for clause (a) and (c), as :

(a) The licensee under these rules shall obtain supplies of country liquor from manufacturing ware houses or bonded ware houses after making payment of duty of country liquor and obtain supplies of foreign liquor from Chhattisgarh State Beverages Corporation Ltd. after making payment of duty of foreign liquor and also its cost. The licensee shall place indent well in advance for the supply of country/foreign liquor.

(c) The duty rate of country/foreign liquor for the year 2003-2004 shall be as shown in the table below :

S. No.	Kind of Liquor		Duty Rate
1	2		3
1.	<b>Country Liquor</b> Masala 25.0 U.P. Plain 50.0 U.P. Rasi 70.0 U.P.		Rs. 48/- Per P. L.
2.	<b>Foreign Liquor (SPIRIT)</b>		
	S. No.	Ex. Factory Price Per case means 12 bottles	Duty Rate
	1.	Upto Rs. 900/-	Rs. 70/- Per P.L.
	2.	Above Rs. 901/-	Rs. 100/- Per P.L.
3.	<b>Foreign Liquor (MALT)</b>		
	Beer (Malt Liquor)		Rs. 10/- Per quart bottle

10. The following clause be substituted in rule 15 for clauses (a) and (b), as :

(a) The licensee shall deposit the whole amount of the fixed minimum guaranteed quantity of the country/foreign liquor shop/group of shops in the treasury/sub treasury of the concerned district by the 25th day of the



month and submit the original challans to the Asstt. Commissioner/District Excise Officer of the District where issue may be made till the month end. The unlifted quantity of liquor till the end of the month shall be forfeited.

(b) In case the retail licensee fails to deposit the whole amount of the fixed minimum guaranteed quantity of country/foreign liquor shop/group of shops and fails to submit the original challan by 25th day of the month. As per clause (a) the District Excise Officer/Asstt. Commissioner Excise shall immediately report the matter to the licensing authority who shall take action to impose penalty in accordance to sub clause 1 of clause (f) of sub rule 1 of rule 23. Adjusting the amount equal to the imposed penalty and the balance amount of minimum guaranteed quantity from the security amount, the licensing authority shall issue a notice to licensee to replenish the shortfall in security amount within a week and also show cause as to why the license should not be cancelled. If the licensee fails to deposit the amount of deficit in security amount and does not furnish suitable explanation within the stipulated period his license/licenses of shop/shops or group shall stand cancelled. Thereafter the licensing authority shall take necessary steps to resettle the shop/group of shops.

11. The following rule be substituted for rule 16, as :

**16. Lifting of country/foreign liquor in excess of minimum monthwise guaranteed quantity :**

The licensee may lift liquor more than the minimum month wise guaranteed quantity at the prescribed duty rate only.

12. The following clause be substituted in rule 23 for clause (f)(One) and (Two) of sub rule (1), as :

(f)(One). In the licensee of country/foreign liquor retail shop/group of shops fails to deposit the whole amount of the fixed minimum guaranteed quantity by 25th day of the month in the treasury/sub-treasury of the concerning district and submit the original challan in the district office of the concerning



district he shall be liable for penalty at the rate of Rs. 48/- per P.L. of country liquor, Rs. 71.50 per P.L. of spirit and Rs. 10/- per bottle of malt on the amount of minimum guaranteed quantity less deposited.

(Two) If the licensee fails to deposit the whole amount of monthwise fixed minimum guaranteed quantity and also fails to replenish the shortfall in security amount within the period prescribed consequent to the imposition of penalty.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
K. R. MISRA, Deputy Secretary.



C.S.-2D

[Rule 3(b)]

Licence for the retail sale of country liquor in sealed bottles for consumption  
on the premises

Licence No. \_\_\_\_\_ Year \_\_\_\_\_

Locality \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_

Licence fee Rs. \_\_\_\_\_ (in figures) \_\_\_\_\_ (in words)

The Amount of annual minimum guaranteed quantity Rs. \_\_\_\_\_ (in figures)  
\_\_\_\_\_ (in words).

Shop's total value Rs. \_\_\_\_\_ (in figures) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (in words)

The monthwise division of it is as follows :

S.N.	Month	Month of License fees (of Annual License fees)		Minimum monthwise guaranteed quantity (P.L.)		The amount of fixed minimum guaranteed quantity for the month
1.	April	1/12th Part	Rs.....	9% of Annual Qty.		Rs. ....
2.	May	1/12th Part	Rs.....	10% of Annual Qty.		Rs. ....
3.	June	1/12th Part	Rs.....	9% of Annual Qty.		Rs. ....
4.	July	1/12th Part	Rs.....	6% of Annual Qty.		Rs. ....
5.	August	1/12th Part	Rs.....	6% of Annual Qty.		Rs. ....
6.	Sept.	1/12th Part	Rs.....	6% of Annual Qty.		Rs. ....
7.	October	1/12th Part	Rs.....	8% of Annual Qty.		Rs. ....
8.	Nov.	1/12th Part	Rs.....	8% of Annual Qty.		Rs. ....
9.	Dec.	1/12th Part	Rs.....	10% of Annual Qty.		Rs. ....
10.	January	1/12th Part	Rs.....	10% of Annual Qty.		Rs. ....
11.	February	1/12th Part	Rs.....	10% of Annual Qty.		Rs. ....
12.	March	1/12th Part	Rs.....	8% of Annual Qty.		Rs. ....
	TOTAL					



The license fees of Country Liquor shop shall be deposited in twelve equal instalment. The remaining amount of the license fees after being divided by 12 shall be deposited alongwith the first monthly instalment. Similarly the whole amount of the fixed minimum guaranteed quantity for the country liquor shop shall be deposited by the 25th day of the concerned month as per that division.

Description of premises (with boundaries)

North : \_\_\_\_\_

South : \_\_\_\_\_

East : \_\_\_\_\_

West : \_\_\_\_\_

Name, Father's Name and Address of Licensee(s)

1. \_\_\_\_\_ S/o. \_\_\_\_\_ R/o. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_ S/o. \_\_\_\_\_ R/o. \_\_\_\_\_

Name, Father's name and Address of Salesmen

1. \_\_\_\_\_ S/o. \_\_\_\_\_ R/o. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_ S/o. \_\_\_\_\_ R/o. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_ S/o. \_\_\_\_\_ R/o. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_ S/o. \_\_\_\_\_ R/o. \_\_\_\_\_

License for retail sale of spiced country liquor at a strength of 25 U.P. and plain country liquor at a strength of 50 U.P. and rasi at a strength of 70 U.P. in standard quart (750 ml), pint (375 ml) and nip (180 ml) bottles capacity, is hereby granted to above licence holder(s) at \_\_\_\_\_ (place) in \_\_\_\_\_ Tahsil \_\_\_\_\_ in District of \_\_\_\_\_ w.e.f. \_\_\_\_\_ to March 31, 20 \_\_\_\_\_ for which licence fee and security deposit has been made in accordance with rule 7

The licence is subject to the following special and general conditions the infraction of any of which or a conviction for any offence under the Chhattisgarh Excise Act, 1915 or Narcotic Drugs and Psychotropic substances Act, 1985 shall make the licensee(s) liable for cancellation of the licence and forfeiture of security deposit in addition to any penalty imposed under the relevant laws.



The license fees of Country Liquor shop shall be deposited in twelve equal instalment. The remaining amount of the license fees after being divided by 12 shall be deposited alongwith the first monthly instalment. Similarly the whole amount of the fixed minimum guaranteed quantity for the country liquor shop shall be deposited by the 25th day of the concerned month as per that division.

Description of premises (with boundaries)

North : \_\_\_\_\_

South : \_\_\_\_\_

East : \_\_\_\_\_

West : \_\_\_\_\_

Name, Father's Name and Address of Licensee(s)

1. \_\_\_\_\_ S/o. \_\_\_\_\_ R/o. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_ S/o. \_\_\_\_\_ R/o. \_\_\_\_\_

Name, Father,s name and Address of Salesmen

1. \_\_\_\_\_ S/o. \_\_\_\_\_ R/o. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_ S/o. \_\_\_\_\_ R/o. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_ S/o. \_\_\_\_\_ R/o. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_ S/o. \_\_\_\_\_ R/o. \_\_\_\_\_

License for retail sale of spiced country liquor at a strength of 25 U.P. and plain country liquor at a strength of 50 U.P. and rasi at a strenght of 70 U.P. in standard quart (750 ml), pint (375 ml) and nip (180 ml) bottles capacity, is hereby granted to, above licence holder(s) at \_\_\_\_\_ (place) in \_\_\_\_\_ Tahsil \_\_\_\_\_ in District of \_\_\_\_\_ w.e.f. \_\_\_\_\_ to March 31, 20 \_\_\_\_\_ for which licence fee and security deposit has been made in accordance with rule 7

The licence is subject to the following special and general conditions the infraction of any of which or a conviction for any offence under the Chhattisgarh Excise Act, 1915 or Narcotic Drugs and Psychotropic substances Act. 1985 shall make the licensee(s) liable for cancellation of the licence and forfeiture of security deposit in addition to any penalty imposed under the relevant laws.



## GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS

1. The licensee is liable to deposit the whole duty amount fixed for the month. The unlifted quantity of liquor till the last working day of the month shall be forfeited from the fixed amount of the minimum guaranteed quantity.
2. The amount of the fixed minimum guaranteed quantity for the country liquor shall be deposited by 25th day of the month and against this amount country liquor can be lifted till the last working day of the month from the concerning districts manufacturing ware house/bonded ware house.
3. In case the retail licensee of the country liquor shop/group fails to submit the original challan after depositing the whole amount of the fixed minimum guaranteed quantity of the country liquor shop/group by the 25th day of the month, the Asstt. Excise Commissioner/District Excise Officer shall immediately report the matter to the licensing authority who shall in accordance to the sub clause (one) of clause (f) of sub rule (1) of rule 23 of the "Chhattisgarh Excise settlement of license for retail sale of country/foreign liquor Rules 2002" take action to impose penalty on the amount of guaranteed quantity less paid than the fixed monthly amount of the fixed guaranteed minimum quantity. Adjusting the amount equal to the imposed penalty in the balance amount of security against the security amount deposited by the licensee shall issue a notice to the licensee to replenish the shortfall in security amount within a week and also show cause as to why the license/licenses of the concerned shop/group should not be cancelled. If the licensee fails to deposit the amount of deficit in security amount and does not furnish suitable explanation within the stipulated period the license/licenses of his shop/group shall stand cancelled and the licensing authority shall take immediate step to resettle the licensed shop/group.
4. The licensee may lift more than the Minimum Monthwise Guaranteed Quantity at the same rate of duty i.e. no additional duty shall be levied for lifting more than the minimum monthwise guaranteed quantity.
5. The licensee can obtain supply of the country liquor from the country liquor supplier of the district after making full payment of issue price of liquor including sealing



charges, all taxes, duties etc. leviable from time to time. The licensee shall place indent well in advance to the supplier in the district from whom he wants to procure the supply of country liquor. In case the supplier with whom the indent has been placed fails to supply country liquor as soon as possible, the licensee must approach to the District Excise Officer/Asstt. Excise Commissioner concerned who will make arrangements for supply of country liquor as soon as possible of receipt of such indent.

6. The retail licensee shall not charge less than the fixed minimum retail price.
7. The sale of country liquor in sealed bottles for consumption shall be allowed from the same Gaddi. A portion of the premises shall be set apart where only "on" consumption shall be permitted. Even for "On": consumption the liquor shall not be served loose.
8. The sales shall be made in sealed bottles of quarts, pints, nips of country liquor of prescribed strength and quantity carrying security Hologram approved by Excise Commissioner, as proof of payment of duty.
9. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the prescribed register. The account register shall be produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority.
- 9(A) The licensee shall return all the empty bottles in stock with him on the proceeding day to the supply contractor on the date he goes to the warehouse for obtaining supply of country liquor.
10. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of country liquor for which licence is granted.
11. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 a.m. to 10.30 p.m. except on 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), 30th January (Mahatma Gandhi Nerwan Diwas), Holi and Moharrum and upto 3 more days as notified for closure by the licensing authority Licensing authority may also order closure of shop on account



of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/days.

12. The licensee shall store entire stock of country liquor in the licensed premises only.
13. The licensee shall affix a conspicuous signboard at the entrance to the shop on which the name of the licensee, designation "Licenced Retail Vendor of Country Liquor". location of the shop, period of licence and such other information as prescribed by licensing authority in bold letters shall be painted.
14. The licensee shall provide within the licensed premises a reasonable seating accommodation i.e. sufficient number of benches "takehats", chairs and tables etc.
15. The licensee shall not employ any person as salesman who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and/or contagious disease, or has criminal background or a woman.
16. The licensee shall not sell to any person more than the prescribed quantity of country liquor.
17. The sales should not be made to a person below the age of 18 years or any official in uniform.
18. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tempering with bottles or with their labels, security Hologram, pilfer proof caps or seals.
19. The licensee shall not keep in his licensed premises any colour, essence, hologram, labels, capsules, seals and any other noxious material.
20. The licensee or his salesmen are strictly prohibited from keeping water on the Gaddi of the shop or within 5 feet of the place where the country liquor is stored or kept for sale.



21. The licensee shall be responsible for the proper upkeep and cleanliness including its drain etc. which shall be kept disinfected.
22. All Kujjar, pattals etc. used in the premises shall be removed immediately to specially erected empty receptacles or bin with a cover kept for this purpose, which shall be cleaned at least twice during the sale hours.
23. The premises in which the shop is situated shall not be used as a place of residence by the licensee/salesman and his family.
24. The licensee is strictly prohibited from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales. Gambling and dance programme are strictly prohibited.
25. The licensee shall on expiry of the licence, report to the licensing authority for disposal of balance stock which will be disposed off in accordance with condition No. 25th of general licence condition.
26. The licensee shall be bound by the provisions of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 and the rules made there under (except General License condition No. 2A and 2B) and also with the special instruction by the competent authority.

Date \_\_\_\_\_

District \_\_\_\_\_

**Licensing Authority**



F.L.-1D

[Rule 3(b)]

**Licence for the retail sale of foreign liquor in sealed bottles  
from foreign liquor shop**

Licence No. \_\_\_\_\_ Year \_\_\_\_\_

Locality \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_

Licence fee Rs. \_\_\_\_\_ (in figures) \_\_\_\_\_ (in words)

The Amount of annual minimum guaranteed quantity Rs. \_\_\_\_\_ (in figures)  
\_\_\_\_\_ (in words).Shop's total value Rs. \_\_\_\_\_ (in figures) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (in words)

The monthwise division of it is as follows :

S.N.	Month	Monthwise License fees Annual Licence fees		Monthwise minimum guaranteed quantity				Prescribed amount of minimum guaranteed quantity for the month	
				Spirit (In P.L.)		Malt (In B.L.)		Spirit	Malt
1.	April	1/12th Part	Rs. ....	9% of Annual Qty		15% of Annual Qty.		Rs. ....	Rs. ....
2.	May	1/12th Part	Rs. ....	10% of Annual Qty		15% of Annual Qty.		Rs. ....	Rs. ....
3.	June	1/12th Part	Rs. ....	9% of Annual Qty		13% of Annual Qty.		Rs. ....	Rs. ....
4.	July	1/12th Part	Rs. ....	6% of Annual Qty		6% of Annual Qty.		Rs. ....	Rs. ....
5.	August	1/12th Part	Rs. ....	6% of Annual Qty		6% of Annual Qty.		Rs. ....	Rs. ....
6.	Sept.	1/12th Part	Rs. ....	6% of Annual Qty		6% of Annual Qty.		Rs. ....	Rs. ....
7.	October	1/12th Part	Rs. ....	8% of Annual Qty		6% of Annual Qty.		Rs. ....	Rs. ....
8.	November	1/12th Part	Rs. ....	8% of Annual Qty		5% of Annual Qty.		Rs. ....	Rs. ....
9.	December	1/12th Part	Rs. ....	10% of Annual Qty		5% of Annual Qty.		Rs. ....	Rs. ....
10.	January	1/12th Part	Rs. ....	10% of Annual Qty		5% of Annual Qty.		Rs. ....	Rs. ....
11.	February	1/12th Part	Rs. ....	10% of Annual Qty		8% of Annual Qty.		Rs. ....	Rs. ....
12.	March	1/12th Part	Rs. ....	8% of Annual Qty		10% of Annual Qty.		Rs. ....	Rs. ....
	TOTAL								



The license fees of foreign Liquor shop shall be deposited in twelve equal instalment. The remaining amount of the license fees after being divided by 12 shall be deposited alongwith the first monthly instalment. Similarly the whole amount of the fixed minimum guaranteed quantity for the foreign liquor shop shall be deposited by the 25th day of the concerned month as per that division.

Description of premises (with boundaries)

North : \_\_\_\_\_

South : \_\_\_\_\_

East : \_\_\_\_\_

West : \_\_\_\_\_

Name, Father's Name and Address of Licensee(s)

1. \_\_\_\_\_ S/o. \_\_\_\_\_ R/o. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_ S/o. \_\_\_\_\_ R/o. \_\_\_\_\_

Name, Father,s name and Address of Salesmen

1. \_\_\_\_\_ S/o. \_\_\_\_\_ R/o. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_ S/o. \_\_\_\_\_ R/o. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_ S/o. \_\_\_\_\_ R/o. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_ S/o. \_\_\_\_\_ R/o. \_\_\_\_\_

License for retail sale of foreign liquor in standard quart, pint and nip bottles is hereby granted to above licence holder(s) at \_\_\_\_\_ (place) in P.S. \_\_\_\_\_, Tahsil \_\_\_\_\_ in District of \_\_\_\_\_ w.e.f. \_\_\_\_\_ to March 31, 20 \_\_\_\_\_ for which licence fee and security has been made in accordance with rule 7 for consumption outside the premises.

The licence is subject to the following special and general conditions the infraction of any of which or a conviction for any offence under the Chhattisgarh Excise Act, 1915 or Narcotic Drugs and Psychotropic substances Act. 1985 shall make the licensee(s) liable for cancellation of the licence and forfeiture of security deposit in addition to any penalty imposed under the relevant laws.



## GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS

1. The licensee shall obtain supply of the foreign liquor from the Chhattisgarh State Beverages Corporation Ltd. after making full payment of price of liquor including all taxes, duties etc. leviable from time to time.
2. The licensee shall not charge less than the minimum retail price as fixed under rule 17.
3. Sales at the licensed premises shall be made only for consumption "Off" the premises No liquor shall be consumed/drunk "On" the premises.
4. No quantity less than one standard Nip bottle of 180 ml shall be sold to any person. No sale shall be made to a person below the age of 18 years.
5. The sales shall be made in sealed bottles i.e. quarts, pints and nips of foreign liquor of prescribe strength and quantity and which carry security Hologram approved by Excise Commissioner as proof of payment of duty.
6. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the prescribed register and the account register shall be produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales and facilitate and provide the material and documents required by the competent inspection authority.
7. The licensee shall store entire stock of foreign liquor in the licensed premises only.
8. (a) The licensee is liable to deposit the whole amount of the minimum guaranteed quantity. The quantity left unlifted on the last working day of the month shall be forfeited from the amount of the fixed minimum guaranteed quantity. The licensee shall so adjust the lifting of the fixed monthwise minimum guaranteed quantity that the duty amount paid shall not be less than the monthly amount of the fixed minimum guaranteed quantity. But as a result of the lifting of foreign liquor spriti/malt the duty amount paid for any month is equal to the prescribed amount of the fixed minimum guaranteed



amount but the lifted minimum guaranteed quantity is less, in such case it shall be assumed that the prescribed minimum guaranteed quantity has been lifted.

- (b) The indent for the entire minimum guaranteed Quantity of foreign liquor fixed for the month alongwith cost of liquor including all duties, taxes and cess must be submitted to the Chhattisgarh State Beverages Corporation Ltd. by 25th day of the month.
- (c) In case the retail licensee of the foreign liquor shop/group fails to submit the original challan after depositing the whole amount of the fixed minimum guaranteed quantity of the foreign liquor shop/group by the 25th day of the month, the Asstt. Excise Commissioner/District Excise Officer shall immediately report the matter to the licensing authority who shall accordance to the sub clause (one) of clause (f) of sub rule (1) of rule 23 the "Chhattisgarh Excise settlement of license for retail sale of coun foreign liquor Rules 2002" take action to impose penalty on the amount of guaranteed quantity less paid than the fixed monthly amount of the fixed guaranteed minimum quantity. Adjusting the amount equal to the imposed penalty in the balance amount of security against the security amount deposited by the licensee shall issue a notice to the licensee to replenish the shortfall in security amount within a week and also show cause as to why the license/licenses of the conserved shop/group should not be cancelled. If the licensee fails to deposit the amount of deficit in security amount and does not furnish suitable explanation within the stipulated period the license/licenses of his shop/group shall stand cancelled and the licensing authority shall take immediate step to resettle the licensed shop/group.
9. The licensee shall affix a conspicuous signboard at the entrance to the shop on which the name of the licensee, designation "Licenced Retail Vendor of Foreign Liquor". location of the shop, period of licence and such other information as prescribed by licensing authority in bold letters shall be painted.
10. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of country liquor for which licence is granted.



11. The licensee shall not sell to any person more than the prescribed limit of foreign liquor.
12. The sales should not be made to a person below the age of 18 years police personnel below the rank of sub inspector or to a soldier or official in uniform.
13. The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tempering with bottles or with their labels, security Hologram, pilfer proof caps of seals.
14. The licensee shall not keep in his licensed premises any colour, essence, hologram, labels, capsules, seals and any other noxious material.
15. The premises in which the shop is situated shall not be used as a place of residence by the licensee/salesman and his family.
16. The licensee is strictly prohibited from having recourse to any form of blandishment or inducement to the customer with a view to increase his sales. Gambling and dance programme are strictly prohibited.
17. The licensed premises shall remain open for sale on all days from 10.00 a.m. to 10.30 p.m. except on 15th August (Independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day), 30th January (Mahatma Gandhi Nerwan Diwas), Holi and Moharrum and upto 3 more days as notified for closure by the licensing authority Licensing authority may also order closure of shop on account of law and order or General Election related activity etc. under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/days.
18. The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of foreign liquor for which licence is granted.
19. The licensee shall on expiry of the licence, report to the licensing authority for disposal of balance stock which will be disposed off in accordance with sub rule (6) of rule 18 of Chhattisgarh foreign liquor Rules, 1996.



20. The licensee shall sell foreign liquor to F.L. 2. F.L.3. F.L.4. F.L.4A or F.L.5 licensees as specified by the Collector.
21. The licensee shall be bound by the provisions of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 and the rules made there under (except General License condition No. 2A and 2B) and also with the special instruction by the competent authority.

Date \_\_\_\_\_

District \_\_\_\_\_

**Licensing Authority**



Serial No. ....

District Code No. ....

Group No. ....

1. Name of Applicant :
2. Name of Shop/Group :

Application Receiver's  
Signature

Signature and office seal of the  
officer/staff issuing application

Serial No. ....

**APPLICATION**

District \_\_\_\_\_

Application for the grant of license for retail sale of Country Liquor/foreign  
Liquor group

**Details of the shop/Group of shops**

1. Name of District : \_\_\_\_\_
2. Name of group of shops of country/foreign liquor \_\_\_\_\_
3. Shop/Group of shops' Annual License fee (in figure) Rs. \_\_\_\_\_  
(in words) Rs. \_\_\_\_\_
4. Annual fixed minimum guarantee quantity
  - (A) Country Liquor Quantity (P.L.) \_\_\_\_\_ Duty amount Rs. \_\_\_\_\_
  - (B) Foreign Liquor Quantity (P.L.) \_\_\_\_\_ Duty amount Rs. \_\_\_\_\_
  - (C) Foreign Liquor (Malt) Quantity (B.L.) \_\_\_\_\_ Duty amount Rs. \_\_\_\_\_
5. 1/12th Part of security money of the duty amount payable of shop/group of shops  
(in figure) \_\_\_\_\_ (in words) \_\_\_\_\_
6. Application fee (in figure) Rs. \_\_\_\_\_ (in words) Rs. \_\_\_\_\_



## DETAILS OF THE APPLICANT

(In case of co-applicant photograph of co-applicant and details at serial No. 1 to 5 be also given)

1. Name of the Applicant .....
2. Father's/husband's Name .....
3. Age ..... Sex : Male/Female
4. Permanent address .....  
House No. and Locality/Village .....  
Police Station .....  
Tahsil .....  
Distt. ....  
State .....  
Telephone No. ....
5. Present address .....  
House No. and Locality/Village .....  
Police Station .....  
Tahsil .....  
Distt. ....  
State .....  
Telephone No. ....
6. Details of the application fee deposited  
a. Bank Draft/pay order No. and Date/Banker Cheque/Cash  
b. Name of Bank

Passport Size of  
Photograph of  
Applicant duly  
attested by  
Gazetted Officer

The above information is true to the best of the my/our knowledge. In the event of above information being found incorrect, my/our application shall be liable to be rejected. If above details are found to be incorrect subsequent to the grant of licence it shall render my/our licence liable for cancellation and forfeiture of licence - fee and security deposit made by me/us. I/we am/are aware that submission of false or incorrect information is a penal offence.

Enclosure

1. Bank Draft/pay order of application fee
2. Affidavit duly verified by public Notary

Signature(s)/Thumb impression(s) of the applicant(s)  
and Date

## (ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATION)

Received application from Shri/Smt./Ku. .... S/o., W/o., D/o.,  
..... r/o. .... for country foreign liquor group  
..... alongwith affidavit and bank draft/Banker's cheque/  
Bank cash order or original challan for application fee and entered in the register at serial number .....

Date : .....  
Time : .....

Signature of person authorized by District  
Excise Officer/Asstt. Commissioner Excise  
District .....